कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1129 / 2022 / 10–11 / 3814 भोपाल, दिनांक 14/11/22

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषयः– रायसेन जिले के वन मण्डल औबेदुल्लागंज अन्तर्गत रातापानी अभ्यारण्य में स्थित वनग्राम धुनवानी को विस्थापित कर परिक्षेत्र चिलवाहा के कक्ष क्रमांक पी.एफ.–732 में विस्थापित / पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत् प्रस्ताव।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / 8-09/2022-FC दिनांक 10.10.2022 .

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

प्रकरण में चाही गई जानकारी वन मण्डलाधिकारी औबेदुल्लागंज ने अपने पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2022 / 4766 दिनांक 07.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) से जानकारी उपलब्ध कराई गई है। जिसके अनुसार बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

1– बिन्दु क्रमांक 1 के पालन में संशोधित KML file पोर्टल में अपलोड कर दी गई है, जिसकी KML file सी.डी. में संलग्न है।

2– बिन्दु क्रमांक 2 के पालन में रातापानी वन्यप्राणी अभ्यारण्य के कोर क्षेत्र में स्थित एवं विस्थापन हेतु प्रस्तावित 10 ग्रामों के विस्थापन की योजना संलग्न है।

अतः प्रकरण में आपके चाहे अनुसार जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–(उपरोक्तानुसार+ सी0डी0)

भवदीय

14/11/2022

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1129 / 2022 / 10–11 / 3815 भोपाल, दिनांक 14/11/22

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), भोपाल वृत्त, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, औबेदुल्लागंज, मध्यप्रदेश।
3. अधीक्षक, रातापानी अभ्यारण्य, वन मण्डल औबेदुल्लागंज, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

14/11/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल औबेदुल्लागंज

होशंगाबाद रोड औबेदुल्लागंज फोन नं0 07480–224062 फेक्स नं0 07480–224911 email-dfotogunj@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 22 / 4766 औ.गंज / दिनांक, 07-11-22

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू–प्रबंध) म0प्र0भोपाल

विषयः रायसेन जिले के वनमंडल औबेदुल्लागंज अंतर्गत रातापानी अभ्‍यारण्य में स्थित वनग्राम धुनवानी को विस्थापित कर परिक्षेत्र चिलवाहा के कक्ष क्रमांक पी.एफ.732 में विस्थापित / पुर्नवास किए जाने हेतु 55.00 हे0 वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव।

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक / एफ–5 / 1129 / 2022 / 10–11 / 3646 दिनांक 27.10.22 एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / 8–09 / 2022–एफ.सी. दिनांक 10.10.22

---00---

निवेदन है कि, प्रकरण अंतर्गत संदर्भित पत्र से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। अतः प्रकरण में 02 बिन्दुओं की चाही गई जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है :–

1. वन ग्राम धुनवानी के विस्थापन हेतु प्रस्तावित 55.00 हे0 वनभूमि की संशोधित करेक्टेड के.एम.एल.फाइल परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
2. रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य के कोर क्षेत्र में स्थित एवं विस्थापन हेतु प्रस्तावित 10 ग्रामों के विस्थापन की योजना (प्लान) संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वनमंडलाधिकारी,
सा0 वनमंडल औ.गंज

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 22 / 4767 औ.गंज / दिनांक, 07.11.22

प्रतिलिपि :–

मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त भोपाल की ओर जानकारी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

विधि

वनमंडलाधिकारी,
सा0 वनमंडल औ.गंज

कार्या. अ.प्र.मु.व.सं (भू.प्र.)
आवक क्रमांक 3107
मध्यप्रदेश, भोपाल 10/11/22

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

F/DO Letter 2022.doc

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत शासन का पत्र क्र0 08–09/2022–एफ.सी. दि0 10.10.2022 के बिन्दु क्रमांक 02 की जानकारी

रातापानी अभयारण्य औबेदुल्लागंज के कोर क्षेत्र में स्थित ग्रामों के विस्थापन की योजना

1. **जावरा मलखार** – राजस्व ग्राम जावरा मलखार, तहसील गौहरगंज, परिक्षेत्र दाहोद के अंतर्गत स्थित है, इस ग्राम के विस्थापन हेतु ग्राम में निवासरत ग्रामीणों से सहमति हेतु चर्चा चल रही है, ग्रामीणों एवं ग्राम सभा से सहमति प्राप्त होने पर प्रस्ताव प्रेषित करने की एवं बजट आवंटन हेतु कार्यवाही की जावेगी।
2. **झिरी बहेरा** – राजस्व ग्राम झिरी बहेरा, तहसील गौहरगंज, परिक्षेत्र दाहोद के अंतर्गत स्थित है, इस ग्राम के विस्थापन हेतु ग्राम में निवासरत ग्रामीणों से सहमति हेतु चर्चा चल रही है, ग्रामीणों एवं ग्राम सभा से सहमति प्राप्त होने पर प्रस्ताव प्रेषित करने की एवं बजट आवंटन हेतु कार्यवाही की जावेगी।
3. **पांझिर** – राजस्व ग्राम पांझिर, तहसील गौहरगंज, परिक्षेत्र बरखेड़ा के अंतर्गत स्थित है, इस ग्राम के विस्थापन हेतु ग्राम में निवासरत ग्रामीणों से सहमति हेतु चर्चा चल रही है, ग्रामीणों एवं ग्राम सभा से सहमति प्राप्त होने पर प्रस्ताव प्रेषित करने की एवं बजट आवंटन हेतु कार्यवाही की जावेगी।
4. **कैरी चौका** – राजस्व ग्राम कैरी चौका, तहसील गौहरगंज, परिक्षेत्र बरखेड़ा के अंतर्गत स्थित है, इस ग्राम में पात्र परिवारों को नगद राशि प्रदाय कर विस्थापन की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है, वर्तमान में पात्रता निर्धारण एवं परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय समिति का गठन कलेक्टर रायसेन द्वारा किया जा चुका है, तथा शासन द्वारा विस्थापन हेतु राशि भी उपलब्ध करा दी गई है, इस राशि को कलेक्टर रायसेन के खाते में जमा की गई है। इस प्रकार ग्राम कैरी चौका के विस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है।
5. **दाँतखो** – राजस्व ग्राम दाँतखो, तहसील सुल्तानपुर, परिक्षेत्र बिनेका के अंतर्गत स्थित है, ग्राम दाँतखो में निवासरत 28 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है। इसमें 7.79 करोड़ राशि का मुआवज़ा दिया जाकर 108.299 हे0 भूमि से विस्थापन पूर्ण किया गया है। ग्राम दाँतखों के 07 भूमि स्वामियों की 11.828 हे0 के विस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है। विस्थापन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे है।
6. **जैतपुर** – राजस्व ग्राम जैतपुर, तहसील सुल्तानपुर, परिक्षेत्र बिनेका के अंतर्गत स्थित है, ग्राम जैतपुर–साजौली के विस्थापन हेतु पात्र परिवारों को नगद राशि प्रदाय कर विस्थापन की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है, वर्तमान में पात्रता निर्धारण एवं परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय समिति का गठन एवं पात्रता निर्धारण हेतु कट ऑफ डेट दिनांक 01.1.21 का निर्धारण कलेक्टर रायसेन द्वारा किया जा चुका है, तथा शासन द्वारा ग्राम जैतपुर–साजौली के विस्थापन हेतु राशि भी उपलब्ध करा दी गई है, इस राशि को कलेक्टर रायसेन के खाते में जमा की गई है। इस प्रकार ग्राम जैतपुर–साजौली के विस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है।

7. **साजौली** – राजस्व ग्राम साजौली, तहसील सुल्तानपुर, परिक्षेत्र बिनेका के अंतर्गत स्थित है, ग्राम जैतपुर–साजौली के विस्थापन हेतु पात्र परिवारों को नगद राशि प्रदाय कर विस्थापन की कार्यवाही की जांना प्रस्तावित है, वर्तमान में पात्रता निर्धारण एवं परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय समिति का गठन एवं पात्रता निर्धारण हेतु कट ऑफ डेट दिनांक 01.1.21 का निर्धारण कलेक्टर रायसेन द्वारा किया जा चुका है, तथा शासन द्वारा ग्राम जैतपुर–साजौली के विस्थापन हेतु राशि भी उपलब्ध करा दी गई है, इस राशि को कलेक्टर रायसेन के खाते में जमा की गई है। इस प्रकार ग्राम जैतपुर–साजौली के विस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है।

8. **नीलगढ** – वन ग्राम नीलगढ, तहसील सुल्तानपुर, परिक्षेत्र बिनेका के अंतर्गत स्थित है, इस ग्राम को परिक्षेत्र गौहरगंज के कक्ष क्रमांक पी.एफ.881,882 आर.एफ.315,316 की 55.00 हे0 वनभूमि पर विस्थापित किये जाने की अनुमति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि के उपयोग एवं व्यपवर्तन हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/FVC/151576/2022 भारत शासन को प्रेषित किया गया है। अनुमति प्राप्त होने पर विस्थापन की कार्यवाही की जावेगी।

9. **धुनवानी** – वन ग्राम धुनवानी, तहसील सुल्तानपुर, परिक्षेत्र बिनेका के अंतर्गत स्थित है, इस ग्राम को वनभूमि 55.00 में विस्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑनलाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/FVC/152645/2022 भारत शासन को प्रेषित किया गया है तथा भारत शासन द्वारा चाही गई जानकारी इसी प्रकरण से संबंधित है।

10. **मथार** – वन ग्राम मथार, तहसील बुधनी, परिक्षेत्र देलाबाड़ी के अंतर्गत स्थित है, इस ग्राम के विस्थापन हेतु ग्राम में निवासरत ग्रामीणों से सहमति हेतु चर्चा चल रही है, ग्रामीणों एवं ग्राम सभा से सहमति प्राप्त होने पर प्रस्ताव प्रेषित करने की एवं बजट आवंटन हेतु कार्यवाही की जावेगी।

वनमंडलाधिकारी,
सा.वनमंडल औ.गंज